"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 12 मार्च 2004—फाल्गुन 22, शक 1925

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 जनवरी 2004

क्रमांक एफ 9-03/2004/1-8.—श्री अरुण कुमार द्विवेदी (भावसे) विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की सेवाएं तत्काल प्रभाव से उनके पैतृक विभाग, वन विभाग को लौटाई जाती है.

2. श्री अनूप श्रीवास्तव (भावसे) उप वन संरक्षक, मुख्यालय, प्रधान वन संरक्षक कार्यालय, रायपुर की सेवाएं वन विभाग से लेते हुए

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2004.

उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. मिश्र, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 17 फरवरी 2004

क्रमांक बी-1-29/2002/4/एक.—इस विभाग का समसंख्यक आदेश दिनांक 28-1-2004 के सरल क्रमांक 2 जो, श्री आर. जी. के. पिल्लई, (आरआर-84, रा.प्र.से. वरिष्ठ प्रवर श्रेणी) अपर कलेक्टर, जांजगीर-चांपा की सेवाएं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, द. ब. दंतेवाड़ा पदस्थ करने हेतु सौंपने संबंधी है, को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

2. श्री अभय कुमार मिश्रा (पी-94, रा.प्र.से. वरिष्ठ श्रेणी) अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य, उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग, की सेवाएं अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, द. ब. दंतेवाड़ा के पद पर पदस्थापना हेतु पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को सौंपी जाती हैं.

रायपुर, दिनांक 20 फरवरी 2004

क्रमांक एफ. ए. 4-10/2003/1/एक.—माननीय श्री एल. सी. भादू, न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर को दिनांक 12-1-2004 से 16-1-2004 (5 दिवस) तक का पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है. साथ ही उन्हें अवकाश के पूर्व दिनांक 10 एवं 11 जनवरी, 2004 एवं पश्चात् दिनांक 17 एवं 18 जनवरी, 2004 के सार्वजनिक अवकाश लाभ की अनुमति प्रदान की जाती है.

रायपुर, दिनांक 20 फरवरी 2004

क्रमांक बी-1-47/2003/4/एक.—श्री बृजेश चन्द्र मिश्रा, (आरआर-87, रा.प्र.से. प्रवर श्रेणी) स्थानापन्न उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग को तत्काल प्रभाव से, उसी हैसियत में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग पदस्थ किया जाता है.

2. इस विभाग का आदेश क्रमांक/बी-1/5/2004/1/4, दिनांक 19-2-2004 के अनुक्रम में श्री एन. एस. मण्डावी (आरआर-84, राप्रसे, प्रवर श्रेणी) को उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पंकज द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 20 फरवरी 2004

क्रमांक 26/2004/1-8/स्था.—श्री जी. आर. मालवीय, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को दिनांक 13-10-2003 से 1-11-2003 तक 20 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, तथा दिनांक 2-11-2003 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री जी. आर. मालवीय को अवर सचिव, छ. ग. शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. आर. मालवीय अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 20 फरवरी 2004

क्रमांक 28/2004/1-8/स्था.—श्री अमृत लाल लिखार, स्टाफ आफिसर, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग को दिनांक 12-1-2004 से 24-1-2004 तक 13 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, तथा दिनांक 14-1-2004 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अमृत लाल लिखार को स्टाफ आफिसर, छ. ग. शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री अमृत लाल लिखार अवकाश पर नहीं जाते तो स्टाफ आफिसर, खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 20 फरवरी 2004

क्रमांक 30/2004/1-8/स्था.—श्री देवाशीष दास (भा.व.से.) संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, बायोटेक्नालॉजी विभाग को दिनांक 27-1-2004 से 10-2-2004 तक 15 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री देवाशीष दास, संयुक्त सचिव, छ. ग. शासन, बायोटेक्नालॉजी विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री देवाशीष दास अवकाश पर नहीं जाते तो संयुक्त सचिव, बायोटेक्नालॉजी विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 23 फरवरी 2004

क्रमांक 32/2004/1-8/स्था.—श्री एल. पी. दाण्डे, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 12-1-2004 से 16-1-2004 तक 5 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 17 एवं 18 जनवरी, 2004 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एल. पी. दाण्डे, अवर सचिव, छ. ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री एल. पी. दाण्डे अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रहास बेहार, सचिव.

रायपुर, दिनांक 24 फरवरी 2004

क्रमांक 463/233/2004/2/लीव.—डॉ. श्रीमती मनिंदर कौर द्विवेदी, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग को दिनांक 27-2-2004 से 12-3-2004 तक (15 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 13 एवं 14-2-2004 को शासकीय अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर डॉ. श्रीमती मनिंदर कौर द्विवेदी, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में डॉ. श्रीमती मनिंदर कौर द्विवेदी, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. श्रीमती मनिंदर कौर द्विवेदी, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहती.

रायपुर, दिनांक 24 फरवरी 2004

क्रमांक 465/288/2004/2/लीव.—डॉ. एस. व्ही. प्रभात, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को दिनांक 25-2-2004 से 24-5-2004 तक (90 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर डॉ. एस. व्ही. प्रभात, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में डॉ. एस. व्ही. प्रभात, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. एस. व्ही. प्रभात, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 फरवरी 2004

क्रमांक 1320/डी-589/21-ब/छ. ग./04.—राज्य शासन, श्री अजय ओझा, अधिवक्ता को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर में राज्य शासन एवं महाधिवक्ता के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ शासन की ओर से पैरवी करने के लिए रु. 12,000/- (रुपये बारह हजार केवल) प्रति माह निश्चित मासिक पारिश्रमिक पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर में स्टेन्डिंग कौंसिल, दिनांक 1-3-2004 से 28-2-2005 तक की अवधि के लिए नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 26 फरवरी 2004

फा. क्रमांक 1296/4755/21-ब/छ. ग./04.—राज्य शासन, संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 की धारा 14 (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, राजनांदगांव के न्यायालय में पूर्व संस्थित व्यवहार वाद क्रमांक एम. जे. सी. क्रमांक 19/99 महेश कुमार विरुद्ध रंजन सिंह को व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 10 के प्रावधान के अधीन, प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, राजनांदगांव के न्यायालय द्वारा ही निराकृत किये जाने की अनुमति एतद्द्वारा प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. सी. बाजपेयी, सचिव.

उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 नवम्बर 2003

क्रमांक एफ-73-136/03/उ.शि./38.—राज्य शासन, छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम, 2002 की धारा 25 (2) के अंतर्गत एक्वाटेक यूनिवर्सिटी, रायपुर के शासी निकाय द्वारा प्रस्तुत विश्वविद्यालय की प्रथम संविधियों को उप नियम (4) के अंतर्गत सहमति प्रदान करता है तथा उप नियम (5) के अंतर्गत प्रस्तुत 23 (तेईस) प्रथम संविधियां अनुमोदित करता है.

यह संविधियां राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. सी. सिन्हा, सचिव.

STATUTE NUMBER 01

NAME AND OBJECTS OF THE UNIVERSITY

1. The name of University shall be **Aquatech University**
2. The objects of the university shall be:
   i. To establish a campus in Chattisgarh and study centres at different places in India and abroad.
   ii. To establish state of the art facility for online and distance education.
   iii. To carry out teaching and research and offer continuing education programmes
   iv. To provide consultancy to industry, public organization and Central/State Governments.
   v. To ensure that the degrees, diplomas, certificates and other acadamic distinctions are at par with those laid down by AICTE /UGC etc.
   vi. To bring foreign Universities programs/degrees/affiliations to India.
   vii. To provide broad based educational foundation including a focus on business and technology. An education designed to prepare students for leadership positions in a dynamic global market place.
   viii. To provide education programs to a students population that includes working adults and international students.
   ix. To provide education in a format and at times and locations conducive to the students population.
   x. To provide programs that meet educational needs identified by industry, government and other institutions of higher education in communities served by the University.
   xi. To provide an international educational environment through implementation of global oriented curriculum.
   xii. To generate the financial resources to ensure financial viability for development of more campuses across country and outside.
   xiii. To provide for education of the weaker sections of society for their growth & development.
   xiv. To build international standard campuses and institutes to provide high quality education to save outflow of foreign exchange.
   xv. To pursue any other objective as may be approved by the state government.

3. Definitions

The following definitions are applicable:

i. University means **Aquatech University**

ii. GB – means the Governing Body of the University

iii. BOM – means Board of Management of the University

iv. Sponsoring body – means sponsoring organization i.e. **ULM Educational Society.**

Note: 'His' also includes 'her' and 'he' also includes 'she' wherever applicable.

STATUTE NUMBER 02

OFFICERS OF THE UNIVERSITY

1. The following shall be the officers of the University

   i. The visitor

   ii. The Chancellor

   iii. The Vice Chancellor

   iv. The Registrar

   v. The Chief Finance and Accounts officer

   vi. Other officer as declared by statute number 14 to be officers of the University

   vii. Other officers as may be declared by the Board of Management of the university to be the officers of the University,

   The board of management will decide on the time / need of appointment of the officer of the university and the single / dual responsibility of the officers.

STATUTE NUMBER 03

CHANCELLOR

1. The chancellor shall be appointed by the sponsoring organization body for a period of 3 years with prior approval of the Visitor.

2. The Executive committee of the sponsoring body shall, by simple majority, finalize the name of the chancellor and the secreatary / president of the sponsoring body shall send it to the Visitor, along with bio-data, of the proposed chancellor for his approval. After visitor's approval the chancellor shall be appointed by the sponsoring body.

3. The chancellor shall be the head of the university

4. The chancellor shall preside at the meetings of the governing body and shall, when the Visitor is not present too preside at the convocation of the university for conferring degrees or diplomas

5. The chancellor shall have the following powers, namely

   a. To call for any information or record;

   b. To appoint the vice chancellor

   c. To remove the vice chancellor

6. The chancellor shall hold office for a period of 3 years and shall be eligible for reappointment provided the sponsoring body approves the proposal.

7. Notwithstanding the expiry of his term, he shall continue to hold office until he is reappointed or his successor is appointed.

8. In case of an emergency like illness, absence or death of the chancellor, the vice-chancellor shall perform his duties till the chancellor rejoins his office or the new chancellor is appointed.

9. It shall be the duty of the chancellor to ensure that the Act, the statutes, ordinances and the regulations are faithfully observed.

10. The chancellor shall exercise general control over the affairs of the university

11. The chancellor shall be entitled to receive expenses and allowances as may be decided by the sponsoring body.

12. In a special meeting called for this purpose, the executive committee of the sponsoring body may consider a no confidence motion against the chancellor and if passed by two thirds majority can decide to remove him from the chancellorship of the univesity and can appoint a new person with prior permission of the visitor.

13. The second and further appointment of the chancellor can be done by the executive committee of the sponsoring body on the basis of simple majority with the prior approval of the visitor.

STATUTE NUMBER 04

VICE CHANCELLOR

1. The vice chancellor shall be appointed by the chancellor from a panel of three persons recommended by the governing body and shall, subject to provision contained in section 34(7) of the Act, hold office for a term of four years provided that after expiration of the terms of 4 years, the vice chancellor shall be eligible for re-appointment for

another term not exceeding 4 years.

2. In case the number of names brought up in the Governing body for recommedation to the chancellor is more than three, then a subcommittee constituted by the sponsoring body's nominees in the Governing Body, shall conduct the first screening to arrive at a panel of 3 persons for recommendation to the chancellor.

3. At least one month before the expiry of the term of a vice chancellor, the Governing Body shall send to the Chancellor, a proposal for appointment of incumbent vice chancellor for the second term or for appointment of a new vice chancellor. If the governing body fails to send its recommendation to the chancellor as required under subsection (1) and (2) one month before the expiry of the terms of the organization's nominees in the Governing Body, Chancellor shall reappoint the existing vice Chancellor or select and appoint a new vice chancellor.

4. The Vice Chancellor shall be the Principal Executive and Academic officer of the University and shall exercise general superintendence and control over the affair of the University

5. The vice chancellor shall preside at the convocation of the university in the absence of both the visitor and the chancellor.

6. If in the opinion of the vice chancellor, it is necessary to take immediate action on any matter for which powers are conferred on any authority by or under their adhiniyam, he may take such action as he deems necessary and shall, at the earliest opportunity thereafter, inform such officers or authorities as would have in the ordinary course originally dealt with the matter. Provided that if , in the opinion of the concerned authority, such action should not have been taken by the vice chancellor, then such cases shall be referred to the chancellor whose decision thereon shall be final. Provided that where any such action taken by the vice chancellor affects any person in the service of the university, such person shall be entitled to prefer within 3 months from the date on which such action is communicated to file an appeal to the board of management and the board of management may at its meeting confirm or modify or reverse the action taken by the vice chancellor the decision of the BOM will be final and binding. Provided also that chairman for such a meeting would be one of the members of the BOM other than the Vice Chancellor.

7. If, in the opinion of the vice chancellor, any decision of any authority of the university is outside the powers conferred by this Adhiniyam Statutes or Ordinances or is likely to be prejudicial to the interest of the University, he shall advice the concerned authority to revise its decision within 7 days from the date of this decision and in case, the authority refuse tc revise such decision, the matter shall be rederred to the chancellor and his decision thereon shall be final and binding.

8. The vice chancellor shall continue to hold office till the expiry of his / her term

9. If at any time upon representation made or otherwise and after

making such inquiry as may be deemed necessary, it appears to the chancellor that

i. The vice chancellor has made default in performance of any duties imposed on him by or under this Act or.

ii. Has acted in a manner prejudicial to the interest of the university or

iii. Is incapable of managing the affairs of the university the chancellor may notwithstanding the fact that the term of office of the vice chancellor has notwithstanding the fact that the term of office of the vice chancellor has not expired, by an order in writing stating the reason therein, ask the vice chancellor to relinquish his office from such date as may be specified in the order.

iv. In the event of the occurrence of any vacancy including the temporary vacancy in the office of the vice chancellor by reason of resignation, leave, illness or otherwise the chancellor shall nominate a pro-vice chancellor (Senior most if there is more than one), or a Dean of any faculty to act as Vice Chancellor until the date on which a new vice chancellor is appointed and enters upon the office.

10. The Vice chancellor shall receive a fixed pay per month plus other allowances as decided by the sponsoring body from time to time. He will also be entitled for yearly increments in his fixed salary.

11. The vice chancellor shall cause the budget to be made by the BOM of the university and shall sanction and control all the financial matters of the university. He may also decide to delegate his powers to other officers of the university. Such delegation should be reported to and approved by the BOM.

STATUTES NUMBER 05

REGISTRAR

1. The Registrar will be a key officer of the university, all contracts shall be signed by the registrar on behalf of the university and he shall authenticate all documents and records.

2. The registrar shall be a whole time salaried officer of the university and shall discharge his duties subject to general superintendence and control of the vice chancellor. He will act as the secretary of the board of management of the academic council and of any other body as may be prescribed by the BOM.

3. The first registrar shall be appointed by the chancellor on the recommendation of the sponsoring body initially for two years. On completion of this period the Governing body may extend his services for a further period of three years. His services may also be terminated by the Governing Body by giving one month's notice.

4. The subsequent registrar shall be appointed by inviting applications

and shall be interviewed and selected by the selection committee consisting of the following.

a. A nominee of the chancellor

b. A nominee of the sponsoring body

c. Vice chancellor who shall act as the Chairman

The selection committee will follow the following procedure

a. The date of the meeting of the selection committee shall be fixed and members shall be given at least 15 days notice

b. The quorum in the meeting of the selection committee will be of at least 2 persons.

c. The selection committee shall interview and adjudge the merit of each candidate and report to the board of management the names arranged in the order of merit for the post of registrar.

d. The chancellor shall appoint the registrar on the recommendation of BOM.

The qualification of the registrar will be as follows:

B.E. (in any branch of engg.) B.Tech / M.B.B.S. or post graduate in any subject with five years administrative experience in any university, Educational Institute or Industry.

Or

Graduate in any faculty with ten years of administrative experience in any university, Educational Institution or Industry.

5. The registrar shall receive a fixed pay per month plus other allowances as decided by the BOM from time to time.

6. The age of retirement of the registrar shall be sixty five years.

7. The chancellor on the recommendation of the BOM can terminate the services of the Registrar by giving him one months notice or one month's salary in lieu of notice.

8. Duties of the Registrar:

a. To be the custodian of the common property, records, library and such other property of the university as the governing body under the act shall commit to his charge.

b. To conduct official correspondence on behalf of the board of management academic council and other committees.

c. To issue notices conveying the dates of meetings of the university authorities to the members and to make all arrangements there to

perform such other duties from time to time as prescribed by the board of management and generally render such assistance as may be desired by the vice chancellor in the performance of his official duties.

d. The registrar shall arrange for and supervise the examinations of the university

e. The registrar shall provide copies of the agenda of the meetings of the academic council, board of management, and such other bodies, which are formed under the direction of the vice chancellor and shall record the minutes and send the same to the vice chancellor. He shall also supply all such papers and information as the vice chancellor may direct him to supply.

f. He shall discharge all such functions assigned to him by the vice chancellor.

STATUTE NUMBER 06

CHIEF FINANCE & ACCOUNTS OFFICER

1. The Chief Finance and Accounts Officer (CFAO) shall be a key officer of the university responsible for handling accounts and finances of the university.

2. The CFAO will be a whole time salaried officer of the University and shall discharge his duties subject to the general superintendence and control of the vice chancellor.

3. The first CFAO will be appointed by the chancellor on the recommendation of the sponsoring body initially for a period of two years. On completion of the period his service may be extended by the Governing Body. His services may be terminated by the Governing body by giving one month's notice.

4. The subsequent CFAO shall be appointed by inviting applications and shall be interviewed and selected by the selection committee consisting of the following.

   a. A nominee of the Chancellor

   b. A nominee of the sponsoring body

   c. Vice Chancellor who shall act as the chairman of the committee

The selection committee will follow the following procedure:

a) Dates of the meetings of the selection committee shall be fixed and

members shall be given at least 15 days notice

b) The quorum in the meeting at the selection committee will be of at least 2 persons.

c) The selection committee shall interview and adjudge the merit of each candidate and give recommendations to the Board of Management. The names will be arranged in the order of merit for the post of CFAO.

d) The chancellor shall appoint the CFAO on the recommendation of BOM.

5. The qualifications of the CFAO would be M.Com/M.B.A./CA. Or equivalent with five years of relevant experience in a university, educational institution or Industry.

6. The CFAO shall receive a fixed pay per month plus other allowances as decided by the BOM from time to time.

7. The age of retirement of CFAO will be sixty five years.

8. The services of the CFAO can be terminated by the chancellor on the recommendation of the BOM by giving him one month's notice or one month's salary in lieu of notice.

9. The chief finance & accounts officer shall be responsible to see that accounts and Funds of the university, are properly maintained and regularly audited.

10. The chief finance & accounts officer shall supervise, control and regulate the working of accounts and audit section of the university

STATUTE NUMBER 07

GOVERNING BODY

1. The Governing body of the university shall consist of the following namely

   i. Chancellor

   ii. Vice Chancellor

   iii. Three Persons Nominated by the sponsoring body

   iv. One representative of the state government

   v. An educationist of repute to be nominated by the state government

   vi. One academician to be nominated by the visitor

2. The chancellor shall be the chairman of the governing body

3. Vice chancellor or a nominee of the sponsoring body shall be the member secretary of the governing body.

4. The governing body shall be the supreme authority of the university and shall have the following powers namely.

   i. To review the decisions of other authorities of the University in case they are not in conformity with the adhiniyam, statures and rules ordinances or in the interests of the university.

   ii. To approve the budget and annual report of the university

   iii. To lay down the policies to be followed by the university

   iv. To take decisions about voluntary liquidation of the university

5. The Governing body shall meet at least twice in a calendar year

6. The term of the nominated members of the Governing body will be three years, however they will continue to function even after the expiry of their term till the next persons are appointed or the existing members are reappointed.

7. If the chancellor cannot attend due to unforeseen circumstances the meeting may be rescheduled with sufficient notice or will be chaired by another member of the GB other than the VC nominated by the chancellor in writing.

8. In a meeting of a GB conducted without the presence of the chancellor or if the members at a meeting is less than 4 including the chairman, such a meeting of the GB may not take any decision on the voluntary liquidation of the University.

STATUTE NUMBER 08

BOARD OF MANAGEMENT

1. The Board of management of the university shall consist of the following members namely

   a. Vice Chancellor

   b. One representative to be nominated by the state Govt.

   c. Three representatives to be nominated by the sponsoring body

   d. An educationist of repute,

   e. A professor of repute

   The vice chancellor shall be the chairman of the board of management. The terms of the nominated members of the BOM will be three years however they will continue to function even after the expiry of their term till the next person is appointed or the existing member is reappointed.

2. Powers and functions of the board of management.

The board of management shall exercise following powers and perform the following duties.

i. To formulate the subsequent statutes after the first statutes and put it for the approval of the GB.

ii. To hold, control and administer the property and funds of the university

iii. To adopt financial accounts together with audit report

iv. To frame the annual financial assessment of the university and to place it before the governing body along with annual report for its consideration

v. To adopt annual financial estimates after considering the suggestions of the governing body.

vi. To borrow and lend funds on behalf of the university

vii. To enter ir arry out and cancel contracts on behalf of the university

viii. To determine the custody and regulate the use of common seal of the university

ix. To admit and affiliate colleges and set up study centers all over India and abroad and admit study campuses to the privilege of the university and to withdraw these privileges and to take over the management of the colleges in the manner prescribed by statutes and ordinances.

x. To perform any other duties which may be assigned to it by the governing body chairman of the governing body or by other statutes.

STATUTE NUMBER 09

ACADEMIC COUNCIL

1. The vice chancellor shall constitute the Academic Council based on the needs and requirements of the university.
2. Council shall comprise of:
   a. Vice chancellor
   b. Dean of Faculty
   c. Chairman board of studies
   d. Professors from various streams
   e. Not more than five eminent scholars / professionals of academic repute to be nominated by the vice chancellor
3. The council's duties would be to guide the university on the academic front.

STATUTE NUMBER 10

STANDING COMMITTEE OF ACADEMIC COUNCIL

1. A standing committee shall be constituted as under
   a. Vice Chancellor
   b. Registrar
   c. Dean of faculties
   d. Vice Chancellor may nominate members to advise on certain matters of their expertise

The Registrar shall act as secretary of the standing committees.

Meeting of the standing committee shall be convened under the directions of the vice chancellor.

2. It shall be the duty of the standing committees to render advice on equivalence of examinations in consultation with the faculties concerned and in such matters as may be referred to it by the academic council, or by the board of management. The standing committee may dispose of other matters, referred to it by the academic council / board management.

STATUTE NUMBER 11

BOARD OF EXAMINATION

1. The board of examination will consist of the following members:
   i. Vice chancellor
   ii. Registrar
   iii. Chairman of the board of studies concerned
   iv. One member of the board of studies concerned to be nominated for the purpose by the vice chancellor

2. All examiners and moderators of the examination shall be appointed by the vice chancellor in consultation with the board of examination

3. The manner of appointment of examiners including internal, external and co-examiner shall be proposed by the board of examination however the vice chancellor will have the right to add or delete names in from the proposed list.

STATUTE NUMBER 12

FACULTIES

1. The university shall have all or any of the following faculties
   i. Information Technology
   ii. Nursing
   iii. Pharmacy
   iv. Sciences (including Bio-Technology)
   v. Education
   vi. Engineering and Technology
   vii. Medical Science
   viii. Commerce, Management
   ix. Maritime Education
   x. Insurance
   xi. Paramedical
   xii. Arts (Including Languages)
   xiii. And such other faculties prescribed by the Governing Body from time to time
2. Each faculty shall consist of the Dean and such other members and shall have such duties as may be prescribed by the Governing Body.
3. Each faculty shall have such departments as may be assigned to it by the Academic Council.
4. The Dean of the faculty shall be appointed by the Vice Chancellor for a period of two years from amongst the professors of the University Teaching Departments or School of Studies or Institutes who are teaching in the subjects assigned to the Faculty.
5. The Dean shall be the Chairman of the Faculty and shall be responsible for the due observance of the Statues, Ordinances and Regulations relating to the Faculty and for the conduct and maintenance of the standards of teaching and research.
6. The Dean shall have the right to be present and to speak at any meeting of any Board of Studies of the faculty but shall not have the right to Vote there at.
7. The list of Subjects conferred to each Faculty will be decided by the Academic Council.

STATUTE NUMBER 13

STUDENTS' COUNCIL

1. The Vice Chancellor shall appoint, on the Students Council, one student from each Faculty who has obtained the first position on the basis of total marks obtained in the preceding Degree Examination and who is engaged in the full time Post Graduate study in the University.

2. In case the student who has obtained the first position is not engaged in full time study in the university, the Vice Chancellor shall nominate the student who obtained the next highest position and who is engaged in full time Postgraduate study in the university.

3. The Vice Chancellor can also decide to involve other categories of students in the students Council depending upon the need of student participation for the benefit of the University

STATUTE NUMBER 14

OTHER OFFICERS OF THE UNIVERSITY

1. The following shall be the other officers of the University:
   i. The Controller of Examinations/ Director Evaluation
   ii. The Director, Distance Education/ online learning
   iii. Dean- Student welfare
   iv. The Librarian of the University

   Such others as may be decided by the Board of Management.

2. The requirement of the appointment and detailed work responsibilities of all these officers shall be decided by the Vice Chancellor in consultation with the Board of management based on the needs and requirements of the University.

3. The posts for other subsidiary positions (Class II, III and others) shall be created by the Board of Management as and when the need arises. The Board of Management shall also decide the qualifications and selection procedures along with salaries emoluments. The University can also appoint various officers on contract basis.

STATUTE NUMBER 15

CLASSIFICATION OF EMPLOYEES AND THEIR SERVICE CONDITIONS.

1. The following types of employees shall work in the University

    Permanent employee

    Probationary employee

    Officiating employee

    Contractual Professional

    Temporary employee

    Casual employee

    Apprentices

2. Permanent employée means an employee who is appointed on contract in writing duly signed and who is in the exclusive employment of the University and who has been engaged on a permanent basis and who has been confirmed by an order in writing.

3. Probationary employee means an employee who is appointed in a clear vacancy on probation which generally shall not be more than two years but in extreme cases could be extended by another year.

4. Officiating Employee means an employee officiating on a post where the employee performs duties of the post on which another employee has a lien or which is temporarily lying vacant.

5. Contractual professional means a person who is appointed for a contract period.

6. Temporary Employee means an employee engaged by contract in writing for a specific period or specific work or who has been engaged on temporary basis as such.

7. Casual Employee means an employee whose employment is purely of a temporary nature engaged on the basis of the Muster Roll and includes, worked charged employees.

8. Apprentice means a person who is a learner and who may or may not be paid an allowance during the period of his training.

9. Every employee as defined above shall be employed only by an order in writing by competent authority in the prescribed from with terms and conditions of service as may be stated therein except in the case of casual or apprentice who may be appointed on Muster Roll or by a mere letter in writing by the competent authority.

10. The terms and conditions of service of all the above types of employees and arbitration procedures shall be decided by the Board of Management.

STATUTE NUMBER 16

CONFERMENT OF HONORARY DEGREES AND ACADEMIC DISTINCTIONS.

1. i. Proposal for conferment of an Honorary Degree or Academic Distinction shall be made by writing under the signature of any member of the Academic Council addressed to the Vice Chancellor and communicated in confidence,

   ii. On receipt of the proposal, the Vice Chancellor on being satisfied that the proposal is in conformity with the provision of the Act shall call a special meeting of the Board of the Management to consider the proposal.

   iii. At such a special meeting of the proposal the Vice Chancellor shall call upon the members to indicate their opinion on the proposal by a secret ballot. No speeches or comment shall be permitted on the proposal at such meetings.

   iv. Iv. The Vice Chancellor shall ascertain from scrutiny of the ballot papers if the proposal has the requisite support. If the Vice Chancellor finds that the proposal has the requisite support of the members, he shall declare that the proposal shall be submitted for approval to the next meeting of the Governing Body,

   v. Every proposal for conferment of an Honorary Degree or Academic Distinction shall be separately made and considered in respect of a proposed recipient.

2. i. If the proposal is to be submitted for approval of the Governing Body it shall be included in the agenda of the next meeting of the Governing Body.

   ii. Any such proposal submitted for approval of the Governing Body shall be decided by a secret ballot of the members of the Governing Body present and voting at the meeting

   iii. No member of the Governing Body shall be permitted to discuss, comment or make any speech in respect of the proposal at such meetings

iv. The Vice Chancellor shall scrutinize the ballot papers in respect of the proposal with the help of tellers if necessary

v. On scrutiny, if the proposal is found to have the requisite support the proposal shall be declared to be carried. In the absence of the requisite support the proposal shall be declared to be dropped.

vi. If the proposal is supported by the requisite number of members, it shall be submitted for confirmation to the Chancellor.

STATUTE NUMBER 17

PROVISION REGARDING FEES AND EXEMPTION FROM TUITION FEES

1. All the courses will be run on self-finance basis.

2. The fee structure of various courses and provision of exemption from tuition fees will be decided by the Board of Management from time to time. It will be made available to the students along with prospectus for the relevant session.

3. Students may opt for Bank/ educational loans based on their meeting up with the criteria defined by the respective institution providing with the facility.

STATUTE NUMBER 18

ADMINISTRATION OF ENDOWMENTS FOR THE AWARD OF FELLOWSHIP, SCHOLARSHIP MEDALS AND PRIZES IN THE UNIVERSITY

1. The Board of Management may accept donations for the creation of the endowment for the award of Fellowships, Scholarships, stipend, Medals and prizes of the recurring nature.

2. The Board of Management shall administer all the endowments.

3. The award shall be made out of the annual income accruing from the endowment. Any part of the income, which is not so utilized, would be added to the endowment.

4. The BOM shall prescribe the conditions or deposit in Bank. The value of endowment necessary for instituting an award shall be prescribed by the Board of Management

5. No endowment shall be accepted in contravention of the award and effect shall be given to the wishes of the donor as far as possible.

6. In case any endowment is accepted by the Board of Management, the Board shall make a regulation giving the name of the donor. Name of endowment initial value and the purpose of the endowment.

STATUTE NUMBER 19

POLICY OF ADMISSION

1. The University will follow the nomenclature of Degrees, Post Graduate Degrees and doctoral programmes for the cou ·s, which are included in the UGC list of courses. For such cou ses the eligibility criteria will be the same as prescribed by UGC. The University will follow nomenclature of affiliating foreign Universities, in case of programs offered with affiliation.

2. The University will also institute Degree , diploma and certificate courses and other academic distinctions on the basis of examination or any other method of evaluation based on provisions of section (3) of the Act.

3. The eligibility criteria for the courses instituted as per sub clause (2) shall be decided by the Board of Management.

4. The eligible students as per sub clause (1) and (3) above can seek admission to the University courses.

5. To decide eligibility, students are required to submit certified copies of the marks sheet, Board certificate, provisional certificate with the application form accompanied by the prescribed fees before the due date. Incase of delay, application will have to pay late fee as prescribed.

6. The student will have to file the prescribed application form on payment of fees along with requisite documents i.e. certified copy of the mark sheet, character Certificate, provisional Certificate, Migration Certificate if need be.

7. The Board of Management of the University will prepare the academic schedule of the University and admission and examinations will be based on the academic schedule.

8. The admission date will be announced through open advertisement in newspapers.

9. The fake or illegal University lists are notified by University Grant Commission in the newspapers every year. Students from these Universities will not be eligible for admission.

10. Non- Resident Indians / foreigners can also seek admission in the University.

11. The Students who are placed in compartment category are eligible for provisional admission to the next class. In case the student does not pass the supplementary examination his provisional admission will be cancelled. Information about the cancellation of provisional admission will be notified on the notice board or on websites of the University or through official means of communication. Those who pass the supplementary examination will be admitted / promoted to the next class. The list of such students will also be exhibited on the notice board or on web sites of University or through official means of communication.

12. The fees paid by the students will be non refundable.

13. Every student will have to give a declaration to the effect that there is no criminal case against him / her and he/she would follow all the rules and regulations of the University. Failing this his/her admission will be cancelled.

14. The Head of the Department/ College Principal/ Study Center Head/ Coordinator will have the right to accept or refuse admission, as may be delegated by the Board.

15. Normally the following documents will be filed at the time of admission

    i. Transfer Certificate
    ii. Certified copy of the statement of marks of the last examination
    iii. Good conduct certificate.
    iv. Migration Certificate

v. 2 Photographs passport size

vi. Prescribed fees

vii. No. objection certificate, from the employers, if the student employed.

viii. Student declarations

ix. In addition to the above documents students opting to pursue a dual degree program through one of the Aquatech International University's partner universities (national or foreign) will have to meet all of the standards & requirements of that institution.

Note: The list of documents may vary as per academic regulations of the University as approved by the BOM from time to time.

STATUTE NUMBER 20

PROCEDURE OF ADMISSION AND SELECTION OF STUDENTS.

1. The University shall reserve the right to decide the mode of admission to all academic programs run by it.
2. All academic admissions will be based on either a common admission test or a Departmental Admission Test (DAT) or on the basis of marks in the qualifying examinations on such fees and charges as may be decided by the University from time to time. Tests may be conducted onsite or online.
3. In case such admission tests are not conducted for any reason by the University the admission for all the courses shall be made on the basis of competitive merit of the student in the qualifying examination and or other methods of evaluation including group discussions, interviews etc.
4. Having regard to the maintenance of discipline, the competent admission authority of the University or in the respective college and study centers shall have the powers to refuse the admission.
5. The University may frame rules for adjudication of disputes regarding admission in the University.

STATUTE NUMBER 21

PROVISION REGARDING FEE TO BE CHARGED FROM THE STUDENTS.

1. All the courses in the University will be run in self -finance mode. The following types of fees will be charged from the students.

   i. Prospectus / Registration form

   ii. Admission or admission Test fees (where applicable)

   iii. Tuition fees for the course- semester or year wise

   iv. Examination fees

   v. Library fees –online

   vi. Library fees- physical mode

   vii. Development amalgamated fund

   viii. Recreation charges

ix. Laboratory fees

x. Hostel Charges

xi. Caution Money

2. In addition fees for duplicate mark sheets, revaluation, issuance of degree such other examinations, results related, fee will be charged from the students.

3. The components of fee may vary from course to course and shall be decided by the Board of Management for each courses, the BOM also will have right to affect chance in the course fees from time to time.

4. Students may opt for Bank / educational loans based on their meeting up with the criteria by the respective institution providing with the facility.

STATUTE NUMBER 22

PROVISION REGARDING NUMBER OF SEATS IN DIFFERENT COURSES.

1. As recommended by the academic council and approved by the Board of Management, the number of seats in a class, subject center and faculty will be notified by the University from time to time.

2. The Head of the concerned department in a College or University will have a right to refuse admission to a student to his department for justifiable reasons.

STATUTE NUMBER 23

ANNUAL REPORT

1. The annual report of the university shall be prepared after the financial year has closed.

2. The annual report shall cover the period commencing from the 1st day of July to the 30th June next succeeding year or such period like calendar year as decided by BOM

3. A copy of the annual report shall be placed before the Governing Body along with the Agenda for the annual meeting of the governing body.

वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 फरवरी 2004

क्रमांक एफ 6-341/2001/वा. कर/पांच.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री आर. एस. गुप्ता, अपीलीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर को अस्थायी तौर पर, आगामी आदेश पर्यन्त अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर के पद वेतनमान 14,300-400-18,300 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से, पदोन्नत करते हुये, उन्हें अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, कार्यालय आयुक्त, वाणिज्यिक कर, रायपुर में पदस्थ करता है.

2\. (i) पदोन्नत अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा आदेश प्राप्ति की तारीख से एक माह के अंदर सक्षम अधिकारी को यह विकल्प दिया जायेगा कि :—

(क) उपायुक्त, वाणिज्यिक कर के पद के वेतनमान में वृद्धि प्राप्त कर लेने के बाद आगे कोई पुनरीक्षण किये बिना सीधे ही मूलभूत नियम 22-डी के अंतर्गत अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर के पद में उसका प्रारंभिक वेतन निर्धारित किया जावे.

(ख) अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर के पद पर (पहली बार) उसका वेतन मूलभूत नियम 22-ए (1) में दिये गये तरीके से निर्धारित कर दिया जाये और दूसरी बार उपायुक्त, वाणिज्यिक कर के वेतनमान में वेतनवृद्धि प्राप्त करने के बाद उसी तारीख को उसका वेतन मूलभूत नियम 22-डी के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारण किया जाये.

(ii) यदि अधिकारी द्वारा उपर्युक्त विकल्पों में से विकल्प (ख) अपनाया जाता है तो उसकी आगामी वेतनवृद्धि दूसरी बार वेतन निर्धारण की तारीख से 12 माह की अर्हकारी सेवा पूर्ण करने की तारीख को देय होगी.

3\. इन विकल्पों में से कोई भी विकल्प अपनाने पर अधिकारी को मूलभूत नियम 22-डी (2) के प्रावधानों अनुसार नियम 22 के परन्तुक का लाभ अनुज्ञेय नहीं होगा. एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा.

4\. छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार उक्त पदोन्नति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2004

क्रमांक 129/216/ऊर्जा/03.—छत्तीसगढ़ राज्य में विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रभावशील हो जाने के बाद भी इस अधिनियम की धारा 172 (ए) एवं (सी) के प्रावधान अनुसार अंकित अवधि तक विद्युत मण्डल कार्यरत रहेगा. राज्य शासन, ऊर्जा विभाग के आदेश क्रमांक

63/3/व्ही.आई.पी./ऊ./2003, दिनांक 25 फरवरी, 2003 के द्वारा प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग को आगामी आदेश तक छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल में सदस्य नियुक्त किया गया था. राज्य शासन एतद्द्वारा प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के स्थान पर श्री डी. एस. मिश्र, सचिव, वित्त (वाणिज्यिक कर) विभाग, छत्तीसगढ़ शासन को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक सदस्य, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. बंजारे, उप-सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 फरवरी 2004

क्रमांक एफ 4-30/16/2003.—राज्य शासन एतद्द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (34 सन् 1948) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मेसर्स एसोसियेटेट सीमेन्ट कंपनी जामुल सीमेंट वर्क्स, दुर्ग को उक्त अधिनियम के प्रावधानों से दिनांक 16-9-2001 से 15-9-2002 तक इस शर्त पर छूट देता है कि वर्तमान चिकित्सीय सुविधाओं के स्तर में किसी भी स्थिति में कमी नहीं होगी, वरन् इन्हें और उन्नत किया जायेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
याकूब खेस्स, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

धमतरी, दिनांक 16 जनवरी 2004

क्रमांक क/भू-अर्जन/2 अ/82 वर्ष 02-03/27.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	नगरी	मुकुंदपुर	0.927	कार्यपालन यंत्री, म ज.प. बांध संभाग क्र.-2, रूद्री.	सोन्डूर प्रदायक नहर के अंतर्गत भटकापारा नहर के निर्माण हेतु.

धमतरी, दिनांक 16 जनवरी 2004

क्रमांक क/भू-अर्जन/3 अ/82 वर्ष 02-03/28.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	नगरी	भीतररास	0.093	कार्यपालन यंत्री, म.ज.प. बांध संभाग क्र.-2, रूद्री.	सोन्ढूर प्रदायक नहर के अंतर्गत भटकापारा नहर के निर्माण हेतु.

धमतरी, दिनांक 16 जनवरी 2004

क्रमांक क/भू-अर्जन/4 अ/82 वर्ष 02-03/29.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	नगरी	कसपुर	0.30	कार्यपालन यंत्री, म.ज.प. बांध संभाग क्र.-2, रूद्री.	सोन्ढूर प्रदायक नहर प्रणाली की सिहावा वितरक शाखा के अंतर्गत झिरींडीह माइनर के निर्माण हेतु.

धमतरी, दिनांक 16 जनवरी 2004

क्रमांक क/भू-अर्जन/6 अ/82 वर्ष 02-03/30.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	नगरी	गढ़डोंगरी मा. 94/15	0.68	कार्यपालन यंत्री, म.ज.प. बांध संभाग क्र.-2, रूद्री.	सोंढूर प्रदायक नहर की सिहावा वितरक शाखा के अंतर्गत झिर्री-डीह माइनर के निर्माण हेतु.

धमतरी, दिनांक 16 जनवरी 2004

क्रमांक क/भू-अर्जन/7 अ/82 वर्ष 02-03/31.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यक[illegible]ड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	नगरी	कसपुर प. ह. नं. 94/15	0.16	कार्यपालन यंत्री, म.ज.प. बांध संभाग क्र.-2, रूद्री.	सोन्दूर प्रदायक नहर प्रणाली की सिहावा वितरक शाखा के अंतर्गत गढ़डोंगरी माइनर हेतु.

धमतरी, दिनांक 29 जनवरी 2004

क्रमांक क/भू-अर्जन/8 अ/82 वर्ष 02-03/834.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	नगरी	गढ़डोंगरी मा. गु. 94/15	0.54	कार्यपालन यंत्री, म.ज.प. बांध संभाग क्र.-2, रूद्री.	सोंढूर प्रदायक नहर के अंतर्गत सिहावा वितरक शाखा के अंतर्गत गढ़डोंगरी माइनर के निर्माण हेतु.

धमतरी, दिनांक 29 जनवरी 2004

क्रमांक क/भू-अर्जन/1 अ/82 वर्ष 02-03/836.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	धमतरी	मरादेव	0.069	कार्यपालन यंत्री, जल प्रबंध संभाग रूद्री, कोड नं. 38.	न्यू रूद्री बराज में डूबान में आने के कारण मकानों एवं अन्य संपत्तियों का अर्जन बाबत.

धमतरी, दिनांक 29 जनवरी 2004

क्रमांक क/भू-अर्जन/5 अ/82 वर्ष 02-03/838.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	नगरी	गढ़डोंगरी रै. 94/15	3.18	कार्यपालन यंत्री, म.ज.प, बांध संभाग क्र.-2, रूद्री.	सोंढूर प्रदायक नहर के अतर्गत सिहावा वितरक शाखा के अंतर्गत गढ़डोंगरी माइनर के निर्माण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2003

क्रमांक क/भू-अर्जन/125/ अ-82/01-02/4671.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है: —

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	बिलाईगढ़	पचरी	0.048	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन निर्माण संभाग, कसडोल.	जोंक मुख्य नहर का निर्माण कार्य.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. खेतान, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2002

प्रकरण क्रमांक 22/अ-82/2001-2002/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित क्र. एक, सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	देवाकर	0.712	कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. संभाग क्र.-1, बिलासपुर.	मोहभट्ठा से बासीन सड़क हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मण्डल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 13 फरवरी 2004

क्रमांक 2162/ले.पा./2004/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध मे लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	दुर्ग	निकुम प. ह. नं. 23	5.70	कार्यपालन यंत्री, खरखरा मोहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग (छ. ग.)	खरखरा मोहदीपाट परि. के अंतर्गत आमटी माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 13 फरवरी 2004

क्रमांक 2165/ले.पा./2004/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय मे उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध मे लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	दुर्ग	मासाभाट प. ह. नं. 24	1.55	कार्यपालन यंत्री, खरखरा मोहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग (छ. ग.)	खरखरा मोहदीपाट परि. के अंतर्गत मासाभाट डिस्ट्रीब्यूटरी के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 13 फरवरी 2004

क्रमांक 2168/ले.पा./2004/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय मे उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध मे लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	दुर्ग	आमटी प. ह. नं. 24	0.72	कार्यपालन यंत्री, खरखरा मोहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग (छ. ग.).	खरखरा मोहदीपाट परि. के अंतर्गत आमटी माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 20 फरवरी 2004

क्रमांक 178/प्र.अ.वि.अ./04/ले. भू-अर्जन/04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध मे लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौण्डीलोहारा	सुरेगांव प. ह. नं. 14	17.26	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग (छ. ग.)	खरखरा मोंहदीपाट परि. के अंतर्गत झिटिया वितरिका एवं सुरेगांव नहर क्र. 3 एवं 5 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 11 फरवरी 2004

क्रमांक 1137/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	करमतरा प. ह. नं. 24	0.36	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, रायपुर.	करमतरा-मोखली मार्ग के कि. मी. 2/4 पर मोखली नाला पुल के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 11 फरवरी 2004

क्रमांक 1138/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुईखदान	बकरकट्टा प. ह. नं. 22	6.56	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, छुईखदान.	बकरकट्टा जलाशय के अंतर्गत मुख्य नहर एवं माइनर नहर नाली निर्माण कार्य में.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 10 फरवरी 2004

क्रमांक 64/अ.वि.अ./भू-अर्जन/6 अ/82/03-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	बसना	टीपा प. ह. नं. 2	1.93	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द (छ. ग.)	थीपापानी जलाशय योजना के शीर्ष निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोहर पाण्डे, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 29 दिसम्बर 2003

क्रमांक 2118/ले.पा./भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-डौंडीलोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-भेड़ी, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.04 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	1000/3	0.11
	1001/3	0.57
	1022/2	0.12
	1023	0.74
	1024	0.64
	1025/1	0.55
	1026	0.07
	1030	0.45
	1029	1.00
	1031	0.09
	1035	0.10
	1037	1.60
योग	12	6.04

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरखरा मोहदी-पाट परियोजना के कसही वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 29 दिसम्बर 2003

क्रमांक 2118/ले.पा./भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-डौंडीलोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-शिकारीटोला, प. ह. नं. 18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.00 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
791	0.18
799	0.68
792	1.10
794	0.03
795	0.73
796	0.22
801	0.09
802	0.02
808	0.60
809	1.40

(1)	(2)
810	0.15
811/1	0.20
811/2	0.60
योग 13	6.00

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरखरा मोहदी-पाट परियोजना के कसही वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 29 दिसम्बर 2003

क्रमांक 2118/ले.पा./भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-डौंडीलोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-गड़ाईनडीह, प. ह. नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.49 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
73	0.15
74	0.37
75	1.32
77	0.80
78	0.11
79	0.60
237	0.52
229	0.18
238	0.23
239	0.25
240	0.18
80	0.14
81	0.47
82	1.02
83	0.15
योग 15	6.49

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरखरा मोहदी-पाट परियोजना के कसही वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 29 दिसम्बर 2003

क्रमांक 2118/ले.पा./भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-डौंडीलोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-डेंगरापार, प. ह. नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-13.61 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
2	0.20
3	0.30
4	0.36
5	0.33

(1)	(2)
8	1.64
143/1	1.34
139	0.27
140	0.27
130	0.31
131	0.22
141	0.35
142	0.23
125/	0.25
126	0.32
127	0.52
120/1	0.02
120/2	0.20
346	0.05
315	0.22
316	0.37
318	0.14
319	0.06
311	0.55
268	0.55
314	0.20
266	0.52
263/1	0.30
263/2	0.22
124	0.35
261	1.05
260	1.90
योग 31	13.61

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरखरा मोहदी-पाट परियोजना के कसही वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 29 दिसम्बर 2003

क्रमांक 2118/ले.पा./भू-अर्जन/2003—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दुर्ग

(ख) तहसील-डौंडीलोहारा

(ग) नगर/ग्राम-घीना, प. ह. नं. 19

(घ) लगभग क्षेत्रफल-19.43 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
503	1.98
562	0.33
557/1	0.40
557/2	0.40
557/3	0.03
559	0.05
554	0.83
541	0.63
547	0.63
545	0.15
546	0.20
544	0.86
543	0.05
542	0.07
621	0.90
834	0.26
608	0.37
612/1	0.74
618/1	0.65
619/1	0.24
787/1	0.30
786/1	0.90
750	0.16
779	0.28
780	0.30
752	0.37
770/1	0.01
773	0.65
776	0.20
822/1	0.09
822/2	0.33
822/3	0.16

(1)	(2)
823	0.04
824/1	0.12
827/3	0.09
829/1	0.09
830/1	0.14
832	0.18
555	0.02
835	0.18
837/2	0.40
836/1	0.11
836/3	0.02
1070/2	0.43
1070/3	0.20
1070/4	0.18
1070/1	0.02
1067/1	0.73
1067/2	0.02
1066	0.40
1068	0.01
844	0.25
846	0.12
1057	0.95
1053/2	0.30
1054	0.27
1071	0.04
609	0.60
योग 58	19.43

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरखरा मोहदी-पाट परियोजना के कसही वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डौण्डीलोहारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. सी. पी. केशरी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

दुर्ग, दिनांक 13 फरवरी 2004

क्रमांक 250/अ-82/सन्.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-दुर्ग
(ख) तहसील-गुण्डरदेही
(ग) नगर/ग्राम-भरदाकला, प. ह. नं. 3
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.51 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1261/1	0.10
1262	0.10
1261/3	0.20
1260	0.40
1258	0.15
1257	0.08
1255	0.30
1256	0.10
1254	0.05
1252	0.05
1114	0.06
1115	0.30
1118	0.20
1116	0.01
1117	0.20
1119	0.20
1121	0.01
1122	0.35
1123	0.23
1139	0.15
1135	0.10
1136/1	0.20
1138	0.01
1136/2	0.10
1137	0.20
1126	0.01
1129	0.27
1044	0.52
1042	0.28
1043	0.20
989	0.15

(1)	(2)
990	0.28
992	0.20
981	0.20
977/1	0.05
977/3	0.50
योग 36	6.51

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरखरा मोहदी-पाट परियोजना के भरदाकला माइनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाटन, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 13 फरवरी 2004

क्रमांक 251/अ-82/सन्.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-गुण्डरदेही
- (ग) नगर/ग्राम-खुरसुनी, प. ह. नं. 2
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.09 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1456/1	0.20
1455	0.15
1450/4	0.05
1450/3	0.35
1450/2	0.15
1450/1	0.25
1265/1	0.40
1423	0.20
1424/5	0.50
1603	0.30
1602	0.30
1601/1	0.45
1610	0.05
1608/1	0.15
1609	0.05
1587	0.10
1319	0.35
1307/1	0.10
1305	0.20
1303	0.15
1259	0.01
1304	0.22
1266/2	0.40
1267	0.30
1127	0.15
1457	0.06
1128	0.50
योग 27	6.09

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरखरा मोहदी-पाट परियोजना के अंतर्गत खुरसुनी माइनर क्र. 1 तथा 2 एवं खुरसुल माइनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाटन, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 13 फरवरी 2004

क्रमांक 252/अ-82/सन्.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-गुण्डरदेही
- (ग) नगर/ग्राम-माहूद, प. ह. नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.98 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
377	0.20
375	0.02
372	0.02
378	0.23
381	0.23
380/1	0.12
380/2	0.02
382	0.23
410	0.20
411	0.08
427	0.20
428/1	0.10
428/2	0.12
82	0.15
428/3	0.10
431/1	0.25
433	0.07
56	0.10
55	0.05
53	0.05
51	0.05
50	0.15
409	0.08
65	0.28
66	0.15
76	0.01
67	0.35
71	0.20
72	0.20
94	0.40
75/1	0.20
75/2	0.18
74	0.30
79	0.01
83	0.30
96/2	0.17
104	0.17
81	0.08
95	0.37
96/1	0.05
103	0.12
105	0.15
108	0.15
106	0.12
2/1	0.20
योग 45	6.98

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरखरा मोहदी-पाट परियोजना के अंतर्गत भरदाकला माइनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाटन, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 13 फरवरी 2004

क्रमांक 253/अ-82/सन्.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-गुण्डरदेही
- (ग) नगर/ग्राम-मोहदीपाट, प. ह. नं. 2
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-9.43 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
367/1	0.30
366/3	0.10
287/5	0.20
291/3	0.30
449/13	0.10
287/3	0.20
287/2	0.10
291/2	0.28
291/1	0.10
449/12	0.12
301/2	0.48
43/5	0.20
43/4	0.02
43/12	0.20
43/27	0.10
27/2	0.35
27/1	0.15
48/1	0.30
48/2	0.10
25/1	0.20
458, 459/1	0.40
25/2	0.07
25/3	0.01
22/2	0.10
23	0.15
459/2	0.20
453/2	0.15
453/3	0.15
454	0.10
453/4	0.30
450	0.30
455	0.02
449/1	0.10
449/10	0.10
444	0.10
445	0.13
446/1	0.01
443/1	0.20
443/2	0.22
442/1	0.18
442/2	0.15
439	0.25
440	0.12
504/2	0.25
505/2	0.10
505/1	0.12
505/3	0.13
506/4	0.10
506/3	0.10
518/7	0.15
518/1	0.15
518/3	0.15
516/1	0.10
517	0.28
516/2	0.12
516/3	0.12
513	0.15
योग 57	9.43

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरखरा मोहदी-पाट परियोजना के अंतर्गत खुरसुनी माइनर क्र. 1, गब्दी माइनर क्र. 2 एवं माशाभाट डिस्ट्रीब्यूटरी के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाटन, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 13 फरवरी 2004

क्रमांक 254/अ-82/सन्.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-दुर्ग
(ख) तहसील-गुण्डरदेही
(ग) नगर/ग्राम-खुरसुल, प. ह. नं. 6
(घ) लगभग क्षेत्रफल-17.51 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
486/2	0.35
486/1	0.25
488/6	0.25
488/3	0.25
488/5	0.02
488/1	0.63
488/4	0.25
488/2	0.35
489	0.15
638	0.20
507	0.05
688	0.35
1266	0.15
1260	0.15
1242	0.25
933	0.45
928	0.02
949	0.05
508	0.10
509	0.35
536	0.50
513	0.10
512/2	0.10
940/1	0.10
512/1	0.10
514	0.15
537/1	0.13
537/2	0.12
537/3	0.15
544	0.18
545	0.05
550	0.02
546	0.20
547	0.20
941	0.40
945	0.35
548	0.15
596	0.20
597	0.10
637	0.25
636	0.25
624	0.20
621	0.02
622	0.13
623	0.02
699	0.25
697	0.10
693	0.20
1306	0.25
1217	0.25
1222	0.25
1218/3	0.30
1223/3	0.35
1223/4	0.45
1223/5	0.25
1224	0.30
1268	0.05
1241	0.20
1265	0.10
1263	0.05
1264	0.10
1255	0.05
275	0.23
276	0.22
1243	0.25
916	0.15
917	0.20
925	0.20
927	0.25
966	0.10
936	0.15
939	0.35
937	0.05

(1)	(2)
940/2	0.15
948	0.40
954	0.30
955	0.35
958	0.10
959	0.20
968	0.05
969	0.20
268	0.10
273/3	0.35
269/1	0.20
269/3	0.15
257	0.20
256	0.10
255	0.22
योग 88	17.51

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरखरा मोहदी-पाट परियोजना के माशाभाट एवं खुरसुल माइनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाटन, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 13 फरवरी

क्रमांक 255/अ-82/सन्.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-गुण्डरदेही
- (ग) नगर/ग्राम-गब्दी, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-11.53 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
215	0.10
199	0.05
200	0.40
203	0.15
214	0.75
213	0.02
266/1	0.15
217	0.10
237	0.02
265/1	0.50
218	0.35
236	0.30
1561/1	0.25
219	0.02
235/2	0.30
264/6	0.25
326	0.30
325	0.35
303	0.25
270	0.15
273	0.02
119	0.15
116	0.10
271	0.02
117	0.10
1474	0.02
124	0.15
123	0.10
122/1	0.05
125/4	0.08
125/3	0.15
126	0.02
133	0.02
95	0.25
96	0.15
87	0.15
88	0.13
89	0.05
91	0.02
1107	0.10

(1)	(2)
1110	0.20
1111	0.10
1112	0.35
1126	0.20
1127	0.20
1128	0.20
1139	0.10
1241	0.20
1254	0.30
1138	0.30
1238	0.20
1255	0.30
1239	0.15
1240	0.15
1256	0.30
1415	0.10
1417	0.15
1416	0.20
1418	0.05
1545/1	0.15
1450	0.10
1550	0.10
1552	0.10
1551	0.15
1548	0.20
1549	0.15
1558/1	0.02
1558/2	0.05
1558/4	0.02
1559	0.10
1507	0.05
योग 71	11.53

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरखरा मोहदी-पाट परियोजना के गब्दी माइनर क्र. 2 के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाटन, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 11 फरवरी 2004

क्रमांक 1139/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-राजनांदगांव
(ख) तहसील-छुईखदान
(ग) नगर/ग्राम-गढ़बंजा, प. ह. नं. 24
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.67 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
127/1	0.08
159	0.17
164/4	0.02
181	0.49
164/1	0.03
170	0.06
158/1	0.07
161/4	0.03
164/5	0.02
182	0.05
164/6	0.02
164/3	0.02
162	0.30

	(1)	(2)
	167	0.31
योग	14	1.67

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-गढ़बंजा सब माइनर के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 11 फरवरी 2004

क्रमांक 1140/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-राजनांदगांव
(ख) तहसील-छुईखदान
(ग) नगर/ग्राम-बीरूटोला, प. ह. नं. 24
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.51 एकड़

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
	585	0.02
	746	1.14
	771	0.35
योग	3	1.51

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बीरूटोला सब माइनर के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण-भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 11 फरवरी 2004

क्रमांक 1152/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-राजनांदगांव
(ख) तहसील-छुईखदान
(ग) नगर/ग्राम-हाटबंजा, प. ह. नं. 24
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.07 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
189/1	1.53
234/12	0.15
236	0.04
252/2	0.23
274	0.09
250	0.39
234/1	0.42
234/5	0.15
249	0.04
252/3	0.33
257	0.58
308	0.16
234/2	0.16
234/4	0.16
247	0.38
252/5	0.01
256	0.16
248	0.08
234/3	0.23
235	0.27
252/टू	0.16

(1)	(2)
275	0.03
276/1	0.32
योग 29	6.07

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हाटबंजा डायवर्सन के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 11 फरवरी 2004

क्रमांक 1153/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुईखदान
- (ग) नगर/ग्राम-श्यामपुर, प. ह. नं. 25
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.58 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
330/1	0.15
330/2	0.09
330/4	0.34
योग 3	0.58

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-श्यामपुर सब माइनर के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 11 फरवरी 2004

क्रमांक 1154/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुईखदान
- (ग) नगर/ग्राम-कोहलाटोला, प. ह. नं. 24
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.08 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
271/1	0.08
योग	0.08

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोहलाटोला सब माइनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण-भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में जमा किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 11 फरवरी 2004

क्रमांक 1155/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुईखदान
- (ग) नगर/ग्राम-सिंगारपुर, प. ह. नं. 4
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.44 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
50	0.26
53	0.26
38/1	0.28
97	0.05
54/1	0.32
109/1	0.09
80/1	0.12
91	0.19
92/1	0.24
93	0.59
48/1	0.04
योग 11	2.44

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सुक्तरा जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण-भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 11 फरवरी 2004

क्रमांक 1156/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-खैरागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-मदुराकुही, प. ह. नं. 44
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.06 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1408	1.94
1401/6	1.52
1410	3.00
1411	0.20
1391	1.40
योग	8.06

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मदुराकुही जलाशय के अंतर्गत डूबान एवं उलट हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 11 फरवरी 2004

क्रमांक 1157/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-खैरागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-अचानकपुर नवागांव, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.66 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
203/3	0.13
203/1	0.13
204/3	0.10
204/7	0.30
योग	0.66

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टेकापार जलाशय के अंतर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 11 फरवरी 2004

क्रमांक 1158/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-खैरागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-डोकराभाठा, प. ह. नं. 24
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.38 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
912	0.01
913	0.05
212/3	0.02
25/2	0.02
27/3	0.26
436	0.07
437	0.05
667	0.11
714	0.09
670/1 + 2	0.02
668	0.07
706/1	0.09
669/1	0.03
691/1	0.20
767	0.17
692/1	0.13
693/2	0.04
694/1	0.06
688	0.03
705/4	0.04
716	0.07
706/2	0.13
712/3	0.02
709/2	0.13
710	0.07
711/2	0.07
766/1	0.33
योग	2.38

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पिपरिया जलाशय के अंतर्गत खैरबना माइनर के नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण-भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 11 फरवरी 2004

क्रमांक 1159/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-खैरागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-झरझरा घाट, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.24 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
53/11	0.58
53/7	0.56
53/13	0.76
53/6	0.46
53/8	0.64
53/5	0.27
53/3	0.70
53/2	0.92
53/9	0.11
53/1	0.60
53/10	0.64
योग	6.24

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पिपलाकछार जलाशय के अंतर्गत बांध पार एवं डूबान हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण-भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 11 फरवरी 2004

क्रमांक 1160/भू-अर्जन/2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-खैरागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-एटीकसा, प. ह. नं. 24
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.59 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
18	0.01
198/3	0.02
198/6	0.20
198/16	0.10
94	0.29
95	0.02
100/1	0.30
100/12	0.10
100/25	0.05
198/18	0.07
100/4	0.10
100/10	0.15
198/5	0.10
198/7	0.02
100/7	0.15
107/1	0.03
100/11	0.10
100/15	0.10
100/16	0.10
100/18	0.30
100/24	0.25
100/17	0.30
107/2	0.10
198/4	0.04
198/17	0.10
198/19	0.01
203/1	0.01

(1)	(2)
204/1	0.19
204/2	0.23
205	0.70
198/15	0.35
योग	4.59

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पिपरिया जलाशय के अंतर्गत धारिया माइनर के नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 11 फरवरी 2004

क्रमांक 1162/भू-अर्जन/2004चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-खैरागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-बरबसपुर, प. ह. नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3. . एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
146/1	0.03
145/4	0.23
134/2	0.30
165	0.10
145/3	0.18
133/1	0.02
133/2	0.97
170	0.22
145/2	0.18
135/1	0.20
132	0.08
133/3	0.20
134/1	0.17
167	0.22
योग	3.10

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-साल्हेवारा जलाशय के अंतर्गत उलट निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 21 जनवरी 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भू. . की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-खरसिया
- (ग) नगर/ग्राम-चोढा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.092 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/1 घ	0.210
1/2, 6, 9/4 (1)	0.190
1/3	0.032
9/3, 11	0.186
9/5	0.154
92	0.065
502	0.028
116	0.024
118/2	0.186
119/1	0.024
131	0.020
132	0.061
147	0.267
148	0.121
153/2	0.008
154, 155	0.142
156/1	0.016
487	0.012
495/1	0.182
623	0.053
501/1	0.198
501/5	0.049
503	0.008
494/1, 494/2, 494/3, 494/4 (1)	0.008
494/1, 494/2, 494/3, 494/4 (4)	0.020
494/1, 494/2, 494/3, 494/4 (2)	0.170
494/1, 494/2, 494/3, 494/4 (5)	0.057
501/3	0.016
501/4	0.012
319/1	0.020
617/1	0.008
519/2	0.004
521	0.093
520	0.125
522	0.049
619	0.032
626	0.061
523, 524	0.085
597/2	0.069
595/2	0.020
611	0.049
612	0.121
596/2	0.024
613	0.020
614/1, 615, 616	0.162
621/1	0.012
624	0.065
625/1	0.045
634	0.105
621/5	0.008
621/4	0.024
621/6	0.105
621/2	0.012
9/2	0.008
117	0.158
596/3	0.081
614/3	0.008
योग 55	4.092

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चाम्पा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 18 फरवरी 2004

क्रमांक 41/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-शक्ति
- (ग) नगर/ग्राम-मरकाम गोढ़ी, प. ह. नं. 7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.275 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
636, 639	0.121
635/2	0.008
637	0.097
632/1	0.065
630	0.125
195/2	0.061
198/2	0.028
658	0.174
190/1	0.028
660	0.008
191/1	0.008
662/1	0.036
662/2	0.036
718	0.089
407	0.004
663/3	0.065
663/1	0.032
717/1	0.101
714/1 ख	0.016
714/1 क, 714/3	0.101
714/4	0.073
613	0.004
749	0.008
714/5	0.004
689	0.032
711/3	0.138
752/1	0.028
709/1	0.069
710	0.069
709/2	0.024
706	0.097
755	0.142
756/3	0.024
757	0.085
758/1	0.016
433	0.049
414	0.061
418	0.061
392/2	0.020
431	0.004
419	0.061
411/1	0.085
412, 408/1	0.125
405	0.065
391	0.150
406/2	0.[illegible]
406/1	0.020
392/2	0.012
390/2	0.008
375	0.012
192/1	0.032
196/2	0.045
194/2	0.053
195/1	0.024
198/1	0.036
194/1	0.008
197	0.012
193	0.012
192/2	0.049
189	0.008
191/2	0.012

(1)	(2)
185	0.045
184	0.012
716	0.077
योग	3.275

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मरकाम-गोढ़ी माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 18 फरवरी 2004

क्रमांक 42/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ति

(ग) नगर/ग्राम-अर्जुनी, प. ह. नं. 10

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.615 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
25/8	0.089
25/1	0.129
25/9	0.028
25/4	0.065
25/3	0.073
89/2	0.073
89/1	0.089
88/2	0.142
94/4, 120/4	0.012
98/1	0.105
98/2	0.061
99/1, 127/1	0.133
99/3	0.283
109, 110	0.093
103/1, 103/2	0.053
102	0.081
104	0.008
112/1	0.053
112/2	0.045
योग	1.615

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बगडेवा माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 18 फरवरी 2004

क्रमांक 43/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजैपुर

(ग) नगर/ग्राम-ओडेकेरा, प. ह. नं. 18

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.851 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
562	0.032

(1)	(2)	(1)	(2)
563/1	0.085	2162/4	0.004
563/2	0.036	2449	0.117
556/1	0.138	2396/2	0.012
55214	0.057	2450/3	0.024
550/1	0.040	2626/3	0.012
572	0.020	2612/7	0.028
573	0.004	2633/2	0.028
574	0.065	2610/1	0.024
601/2	0.008	2627/4	0.280
624/4	0.016	2627/1	0.032
636/1	0.065	2632	0.065
629	0.008	2633/3	0.012
630/4	0.012	2640	0.045
624/3	0.101	2642	0.016
624/4	0.032	2641	0.057
624/5	0.028	2161	0.016
624/6	0.028	2395/3	0.040
556/2	0.008	2451/1	0.053
692/1	0.113	2164/1	0.008
601/3	0.028	2631	0.032
806/5	0.004	2395/6	0.049
806/4, 603/1	0.024	2456/15	0.105
804, 605	0.032	558	0.061
810/2	0.016	632	0.008
810/1	0.223	552/1	0.004
798	0.016	2169/1	0.032
791	0.210	2395/4	0.040
797	0.053	2164/2	0.024
2184	0.028	2169/4	0.008
2185	0.020	2169/2	0.008
2207/4	0.036	2639	0.028
2180	0.020	2456/11	0.101
2179	0.036	2168	0.016
2210	0.024	2454/1	0.012
2211/1	0.008	2166/1	0.053
2213	0.016	2166/3	0.024
2214/2	0.028	2452	0.016
2214/1	0.028	2456/6	0.142
2167	0.004	2166/2	0.020
2165/2	0.105	2186	0.008
2165/1	0.045	2456/1	0.101
2163/2	0.069	559/4	0.061
2162/3	0.053	796	0.020

(1)	(2)
2450/1	0.073
2169/3	0.008
2630	0.077
2397	0.040
2395/5	0.040
2451/2	0.057
2208	0.061
2449/2	0.462
2170	0.016
692/2	0.125
803/2	0.004
2396/3	0.012
799/1, 799/2	0.004
614	0.004
योग 87	4.851

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बरदूली शाखा वितरक नहर (पूरक).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि छिब्बर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 19 फरवरी, 2004—20 माघ, 1925 (शक)

अधिसूचना

सं. 154/सी.जी.एच./2004-का. प्रशासन.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13-क की उपधारा (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग छत्तीसगढ़ सरकार के परामर्श से एतद्द्वारा डा. के. के. चक्रवर्ती, आई. ए. एस. के स्थान पर श्री अशोक कुमार विजयवर्गीय, आई. ए. एस. (सी.एच.-69) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेशों तक के लिए, छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करता है.

2. श्री अशोक कुमार विजयवर्गीय, छत्तीसगढ़ सरकार के अधीन सभी पदभार या किसी कार्य के पदभारों को तत्काल सौंप देंगे या धारण करना समाप्त कर देंगे, जो कि वे ऐसा पदभार ग्रहण करने से पहले धारण कर रहे थे.

3. श्री अशोक कुमार विजयवर्गीय, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ के पद पर कार्य करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार के अधीन किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे सिवाय इसके कि उनको राज्य सचिवालय में निर्वाचन विभाग के प्रभारी, सरकार का सचिव पदाभिहित किया जायेगा.

आदेश से,
हस्ता./-
(आनन्द कुमार)
निदेशक (प्रशा.)

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, Dated 19th February, 2004—20 Magha, 1925 (Saka)

NOTIFICATION

No. 154/CGH/2004-P.Admn.—In exercise of the power conferred by sub-section (I) of section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950) the Election Commission of India in consultation with Government of Chhattisgarh hereby nominates Shri Ashok Kumar Vijayavargiya, IAS (CH-69) as the Chief Electoral Officer for the State of Chhattisgarh with effect from the date he takes over charge and until further orders vice Dr. K. K. Chakravarty, IAS.

2. Shri Ashok Kumar Vijayavargiya shall cease to hold and hand over forthwith the charge of all or any charges of work under the Government of Chhattisgarh, which he may be holding before such assumption of office.

3. Shri Ashok Kumar Vijayavargiya while functioning as the Chief Electoral Officer, Chhattisgarh shall not hold any additional charge whatsoever under the Government of Chhattisgarh except that he should be designated Secretary to the Government in charge of Election Department in the State Secretariat.

By order,
Sd/-
(ANAND KUMAR)
Director (Admn.)